संवैधानिक आरक्षण नीति, तथ्य और गलतफहमियां

Constitutional Policy of Reservations, Facts & Misconceptions

आधुनिक भारत में आरक्षण नीति का उगम तथा विकास / Evolution & Development of Reservation policy in Modern India

महात्मा ज्योतिराव फुले ने सर्वप्रथम **१८८२** में हंटर कमीशन को सौपे हुए ज्ञापन (Memorandum) में प्रशासन में पिछड़ी जातीयों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए ऐसा सुझाव दिया था, लेकिन इसे ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना । कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज ने **२६ जुलाई १९०२** को अपनी रियासत के शासकीय सेवाओं में पिछड़ी जातीयों को ५० % आरक्षण का संरक्षण दिया। **१९२१** में मद्रास प्रान्त में जब जस्टिस पार्टी (Justice Party) सत्ता में आयी तब एक शासकीय आदेश के द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सभी वर्ग - गैर ब्राम्हण, पिछड़े हिन्दू, ब्राम्हण, दलित, ईसाई, मुस्लिम, एंग्लो इंडियंस इत्यादि के लिए सीटों का बटवारा किया।

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जी के प्रयासों से आरक्षण प्रणाली को सवैधानिक और मुलभूत अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में **२६ जनवरी १९५०** को जब संविधान लागू हुआ तब आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान सरकारी नौकरियों में कलम **१६ (४)** द्वारा किया था । ऐसा स्पष्ट प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं था । **State of Madras vs Champakam Dorairajan** (AIR 1951 SC 226) के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक **०९ अप्रैल १९५१** के फैसले द्वारा मद्रास राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए आरक्षण को रद्द किया जिसके कारण पहला संवैधानिक संशोधन **८ जून १९५१** को करना पड़ा और कलम **१५ (४)** संविधान में डालने की जरुरत पड़ी ।

आरक्षण नीति की मूलभावना तथा उद्देश्य / Spirit & Objectives of Reservation policy

आरक्षण यह कोई शिक्षा प्रदान करने की या रोजगार निर्माण करने की या गरीबी हटाने की कल्याणकारी योजना **नहीं है ।** संवैधानिक आरक्षण नीति के निम्नलिखित मूल उद्देश्य है :-

१) शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लोगो के साथ जाती के आधार पर होने वाले भेदभाव से **सुरक्षा प्रदान करना** ।

२) देश के राजकीय, प्रशासकीय क्षेत्र में तथा आर्थिक संसाधनों में पिछड़े वर्गों को **भागीदारी प्रदान करना।**

३) राजकीय क्षेत्र में यह सुनीश्चित करना की पिछड़े वर्ग के लिए जो संवैधानिक अधिकार और प्रावधान है उनके कार्यान्वन के लिए **कानून बनाना**, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए **नीतियां बनाना** और कोई भी कानून या नीति पिछड़े वर्गों के लिए नुकसानकारक न हो यह सुनिश्चित करना।

४) प्रशासकीय क्षेत्र में यह सुनिश्चित करना की पिछड़े वर्ग के हितों से सम्बंधित नीतियों का सम्पूर्ण रूप से **अनुपालन और कार्यान्वन हो।**

आरक्षण से सम्बंधित ४ बड़ी गलतफहमियां / 4 Major Misconceptions about Reservations

1] पहली गलतफ़हमी - "Reservations (आरक्षण) और Concession / Relaxations (छूट) यह एक ही है"

Reservations, Relaxations और Concession यह तीनो अलग अलग बातें है । पिछड़े वर्गों को गुणों (marks) के cut off में, आयु सीमा में और attempts में मिलने वाले छूट को **Relaxations** कहते है तथा परीक्षा शुल्क में मिलने वाले छूट, interview के लिए रेल किराए की प्रतिपूर्ति इत्यादि आर्थिक मामलो में मिलने वाली छूट को **Concession** कहते है ।

यह Concession / Relaxations और आरक्षण प्रणाली यह भिन्न भिन्न बाते है । इन Concession / Relaxations का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जबकि आरक्षण यह संवैधानिक प्रणाली है । आरक्षण 1950 से लागू हुआ जबकि Concession / Relaxations यह केवल प्रशासकीय पहल है जो केंद्र और राज्य सरकारों ने आरक्षण प्रणाली लागु होने के काफी सालों के बाद में अलग अलग समय पर लागु की ।

आरक्षण विरोधी लोगो की नाराजी इस बात से है की OBC/SC/ST/DNT/NT वर्गों में से जो **आर्थिक दृष्टि से सधन और सक्षम** लोग है उन्हें भी cut off, शुल्क संरचना, आयु सीमा और attempts में छूट (Relaxations) दी जाती है । इन लोगो की नाराजी Concession / Relaxations (छूट) से है लेकिन अपने अज्ञान की वजह से वह Reservation policy (आरक्षण प्रणाली) का विरोध कर रहे है । अगर आरक्षित वर्ग का प्रतिभागी केवल आर्थिक मामलो में Concession (परीक्षा शुल्क में मिलने वाले छूट, interview के लिए रेल किराए की प्रतिपूर्ति इत्यादि) लेकर मेरिट लिस्ट में आता है तो उसे **अनारक्षित वर्ग (General category)** का माना जाता है लेकिन अगर आरक्षित वर्ग का प्रतिभागी आयु सीमा में और attempts में मिलने वाले छूट को याने Relaxations का उपयोग कर मेरिट लिस्ट में आता है तो उसे **आरक्षित वर्ग (Reserved category)** का ही माना जाता है । यही DOPT के निर्देशानुसार है ।

2] दूसरी गलतफ़हमी - "आरक्षण जाती पर आधारित है" / Reservations are based on Castes

यह दूसरी बड़ी ग़लतफ़हमी लोगो के मन मस्तिष्क में जान बूझकर पिरोई गयी है की OBC, SC,ST के लोगो को आरक्षण "जाती" (caste) के आधार पर दिया गया है। इस बात को तीन तथ्यों के सहारे आसानी से गलत साबित किया जा सकता है

पहला तथ्य - "जाती" यह केवल OBC और SC के समूहों में पायी जाती है, ST के समूहों में, मतलब आदिवासी लोगो में जातियां नहीं होती है, आदिवासी सभ्यताओं में जाती व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या छुआछूत अस्तित्व में नहीं है। इसलिए **"जाती" (caste)** का प्रमाण पत्र सिर्फ SC और OBC वर्गों को ही दिया जाता है, ST वर्गों को **"जन-जाती / जमाती" (tribe)** का प्रमाणपत्र दिया जाता है। ST वर्ग में पाए जाने वाले "गोंड" "कोरकू" "भिल्ल" इत्यादि समूह यह जातीयाँ नहीं है और न ही कोई एक दूसरे को ऊँचा या नीचा समझता है। अगर ST वर्ग आदिवासी सभ्यताओं में जातीयाँ नहीं होने के बावजूद भी वह आरक्षण के पात्र होते है इसका साफ़ मतलब है के आरक्षण यह जाती के आधार पर नहीं है।

दूसरा तथ्य - अगर आरक्षण केवल **"जाती" (caste)** के आधार पर दिया गया होता तो जाती के प्रमाण पत्र **(Caste Certificate)** के आधार पर 12 वी मे विफल (fail) हुए OBC/SC/ST छात्रों को भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, IIT, IIM, IISC जैसे संस्थानों में प्रवेश मिल जाता। या फिर केंद्र/राज्य सरकार विभाग में उन्हें बिना किसी शैक्षणिक योग्यता के केवल जाती प्रमाण पत्र के आधार पर ही नौकरी/रोजगार मिल जाता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है क्यों की आरक्षण का संरक्षण प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अंक/शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक होता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है की आरक्षण प्रणाली का मापदंड "जाती" नहीं है।

तीसरा तथ्य - जाती व्यवस्था / जातियां यह पिछडे (Backward) तथा सवर्ण (Forward) दोनों समूहों में पायी जाती है, इसका मतलब जिस तरह से कुछ जातीयाँ पिछड़ी कहलाती है उसी तरह कुछ जातीयाँ सवर्ण कहलाती है, आरक्षण अगर जाती के आधार पर दिया जाता तो सवर्ण (Forward) जातीयां भी आरक्षण के पात्र होती लेकिन आरक्षण केवल पिछड़ी जातीयों को ही दिया गया है । संविधान ने उन वर्गों को आरक्षण की सुरक्षा प्रदान की है जो **सामाजिक तौर पर** पर पिछडे है, सवर्ण जातीयों के साथ जाती के आधार पर कोई उत्पीडन, अत्याचार, अपमान या शोषण नहीं होता है इसलिए उन्हें इस तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी है ।

अगर आरक्षण जाती आधारित नहीं है तो आरक्षण का आधार क्या है ? OBC SC और ST यह अलग अलग समूह है, ऐसी क्या समान बातें है इन तीनो अलग अलग समूहों में जो इन्हें आरक्षण के पात्र बनाती है ?

Inequality - OBC/SC/ST वर्गों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ।
Discrimination - OBC/SC/ST वर्गों के साथ भेदभाव किया गया।
Deprivation - OBC/SC/ST वर्गों को उनके मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया।
Denial of Opportunities - OBC/SC/ST वर्गों को उनकी प्रगति करने वाले सभी अवसरों से वंचित रखा गया।

असमानता, भेदभाव, अधिकारों का अभाव, अवसरों का अभाव - इन 4 तत्वों के आधार पर आरक्षण जैसी व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं बल्कि 70 से ज्यादा देशो में अपनायी गयी है। अमेरिका में काले वर्ण के लोगो को जो सकारात्मक व्यवस्था लागु की है वह इन्ही ४ तत्वों पर आधारित है न की वह नीग्रो वंश के है इसलिए।

3] तीसरी गलतफ़हमी - आरक्षण ५०% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता / Reservations cannot exceed 50%

SC ST वर्गों को उनके जनसँख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यही तत्व OBC वर्ग के लिए लागू करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । जब जब OBC वर्ग ने अपने **जनसंख्या के अनुपात** में आरक्षण की माँग की तब तब उन्हें Supreme court के आदेश का हवाला देकर यह बताया गया की आरक्षण की मर्यादा 50% से ज्यादा बढ़ाई जा सकती । लेकिन आज की तारीख में **तीन** राज्य ऐसे है जहाँ आरक्षण की मर्यादा ५०% से ज्यादा है - तमिलनाडु (69%), छत्तीसगढ़ (58%) और महाराष्ट्र (52%) । तमिलनाडु ने तो OBC को १९८० में ही ५०% आरक्षण क़ानूनी तौर पर दिए थे जो आज भी बरक़रार है।

आरक्षण की मर्यादा ५०% से ज्यादा बढाकर हर राज्य में तथा केंद्र में भी OBC वर्ग को उनकी **जनसंख्या के अनुपात** में आरक्षण दिया जा सकता है, इसके दो रास्ते है, एक - सम्बंधित राज्य को इस तरह का कानून बनाकर उसे केंद्र सरकार द्वारा संविधान की ९ वि अनुसूची (IX Schedule) में डालकर, दूसरा - सुप्रीम कोर्ट के सम्बंधित निर्णय को Constitution Amendment Act द्वारा रद्द कर के।

4] <u>चौथी गलतफ़हमी - आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था Reservation was only for 10 years</u>

आमतौर पर आरक्षण विरोधी वर्ग यह हमेशा कहता है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था जो राजनितिक पार्टियों ने अपना वोट बैंक बरकरार रखने के लिए हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता है । यह प्रावधान संविधान के **Article ३३४** में है जो केवल राजकीय आरक्षण (लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव क्षेत्र) को लागू होता है जो की मुलभुत अधिकार **नहीं है**। यह प्रावधान शिक्षा तथा रोजगार में दिए गए आरक्षण को लागु नहीं होता है क्यों की यह आरक्षण **Article १५ और १६** के अन्तर्गत आते है **जो की मुलभुत अधिकार है**। शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में, अन्य मुलभुत अधिकारों की तरह, आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है।

जिन कारणों की वजह से आरक्षण प्रदान करने की जरुरत पड़ी वह कारण जिस दिन नष्ट हो जायेंगे उस दिन से आरक्षण की जरुरत ही नहीं होगी और पिछडे वर्ग के लोग खुद होकर यह आरक्षण फेंक देंगे ।

डॉ हेमंत म तिरपुडे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त II
क्षेत्रीय कार्यालय - सोलापुर
8554837268